

आदेश - पत्रक

लेचु मिस्त्री ①
पिता पुष्पु मिस्त्री
ग्राम सतौर

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० से तक
जिला सं० 24/16-17 सन्
केस का प्रकार सन्देहात्मक

कस का प्रकार	सं. ६८५८		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित										
आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर												
1	2		3										
	सन्देहात्मक वाद का संधारण मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार का पत्रांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 तथा अपर समाहर्ता, चतरा का पत्रांक 462/रा० दिनांक 17.05.2016 के आलोक में अवैध जमाबन्दी से संबंधित भूमि की सूचि उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्राप्त है। राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें तथा अभिलेख दिनांक 14.6.16 को उपस्थित करें। अंचल अधिकारी, चतरा। 14.6.16 अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के द्वारा खतियान एवं पंजी II के अवलोकन के पश्चात ग्राम सतौर के रैयत लेचु मिस्त्री, पिता पुष्पु मिस्त्री खाता संख्या 30, प्लॉट संख्या 1033एच, रकबा 1.33एच, भूमि जो गैरमजरूआ खाते की है। भूमि में कायम अवैध जमाबन्दी से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है। <table><tr><td>क्र०</td><td>खाता</td><td>प्लॉट</td><td>रकबा</td><td>लगान</td></tr><tr><td></td><td>30</td><td></td><td>1.33 एच,</td><td></td></tr></table>			क्र०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान		30		1.33 एच,	
क्र०	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान									
	30		1.33 एच,										

आ
ग
बा
तारीख

तिथि

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

अभिलेख उपस्थापित।

अभिलेख का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, चतरा द्वारा अभिलेख में उल्लेखित है कि विपक्षी का प्रश्नगत भूमि का पंजी ॥ में विवरण संदेहात्मक दर्ज है। फलतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अंचल अधिकारी, चतरा के अनुशंसा के आलोक में जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के माध्यम से अपर समाहर्ता, चतरा को भेजे।

16/7/18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चतरा।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
चतरा।